

राजनीतिक चिंतन : याज्ञवल्क्य स्मृति के संदर्भ में

अंजली गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर
रघुनाथ गर्ल्स पी0 जी0 कॉलेज
मेरठ 1/4उ०प्र०1/2 250001
भारत

प्रोफेसर अपर्णा वत्स
प्रोफेसर
रघुनाथ गर्ल्स पी0 जी0 कॉलेज
मेरठ1/4उ०प्र०1/2 250001
भारत

शोध सारांश

मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में उसका राजनीतिक पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इस पहलू ने उसके जीवन के अन्य पहलुओं यथा आर्थिक] सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित ही नहीं किया अपितु उन्हें एक निश्चित स्वरूप तथा विकास भी प्रदान किया। मानव के इस राजनीतिक पहलू का सीधा संबंध राज्य से रहा है। राज्य के व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन का परिणाम ही राजनीतिक चिंतन है। राज्य क्या है? उसका उद्भव कैसे हुआ\ उसका स्वरूप क्या है\ राज्य किस प्रकार समाज के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रभावित करता है\ और स्वयं उनसे कैसे प्रभावित होता है\ आदि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है] जो मानव मस्तिष्क को उचित एवं व्यवहारिक उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का मानना है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनान में हुआ था तथा प्राचीन भारत राजनीतिक विचारों से अनभिज्ञ था जबकि सत्यता यह है कि पश्चिमी सभ्यता के उद्भव से शताब्दियों पूर्व भारत में उच्च कोटि की राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में थी। अति प्राचीन काल से ही भारत में राजधर्म एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार विमर्श होते रहे हैं। महाभारत] रामायण] कौटिल्य के अर्थशास्त्र] मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित विचार इसके प्रमाण है। प्रस्तुत शोध पत्र में याज्ञवल्क्य स्मृति के संदर्भ में राजपद की योग्यता एवं कार्यों का] राजा को किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए] प्रजापालन के लिए किन उपायों को अपनाना

चाहिए] राजा का धर्म क्या है] उसे राजधर्म को किस प्रकार क्रियान्वित करना चाहिए] पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार संबंध बनाने चाहिए] किस प्रकार दुष्टों का दमन करना चाहिए] दंड नीति का प्रयोग कब और किस प्रकार करना चाहिए आदि का वर्णन किया जायेगा।

मूल शब्द& राजधर्म] सप्तांग] दण्डनीति] परराष्ट्रनीति] युद्धनीति

याज्ञवल्क्य स्मृति प्राचीन भारतीय साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है। यह स्मृति सनातन] सार्वभौमिक] अत्यंत उदात्त एवं मानवतावादी ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था तथा उस व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले संघर्षों के समाधान का अनूठा वर्णन है। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजनीतिक दर्शन की विशाल] व्यापक एवं सशक्त पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर होती है। इस स्मृति के आचाराध्याय का राजधर्म प्रकरण तथा व्यवहाराध्याय के सभी प्रकरण भारतीय राजनीति के संदर्भ में याज्ञवल्क्य के विचारों को व्यक्त करते हैं। याज्ञवल्क्य ने व्यक्ति] समाज एवं राज्य के अंगों को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य एक ऐसी पद्धति विकसित करना था] जो व्यक्ति और राज्य के अंगों में संघर्ष के स्थान पर सौहार्द की स्थापना कर सके। प्राचीन भारत में राज्य और सरकार से संबंधित विचारों को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है&राजधर्म] राजशास्त्र] दंडनीति] नीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि।¹

- प्राचीन ग्रंथों में राज्य संबंधी नियमों का वर्णन राजा के कर्तव्य के रूप में राजधर्म के नाम से किया गया है। राजधर्म को सभी धर्मों का तत्व या सार कहा गया है।² इसके अंतर्गत आचार] व्यवहार] प्रायश्चित्त आदि सभी नियम आते हैं।
- राजशास्त्र शब्द में राज 1/4राज्य1/2 व राज करना 1/4शासन1/2 दोनों ही आ जाते हैं।
- राजा द्वारा लोगों को नियंत्रित कर धर्म के मार्ग पर चलाना तथा बाह्य शत्रुओं को नियंत्रण में करने के साधनों का बोध कराना दंडनीति है।

- नीतिशास्त्र इस तथ्य का सूचक है कि राजा किन साधनों एवं उपाय द्वारा अपने कार्य में सफल हो सकता है।
- राजा द्वारा जीविका की व्यवस्था का उचित मार्गदर्शन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है।

आधुनिक पाश्चात्य विद्वान राज्य की परिभाषा देते हुए अनेक तत्वों का विश्लेषण करते हैं जिसमें जनसंख्या] भूभाग] सरकार] संप्रभुता आदि सम्मिलित हैं। भारतीय परंपरा में भी राज्य को व्यक्ति एवं समाज के हित का साधन माना गया है। भारतीय परंपरा राज्य की जिस परिभाषा को परिभाषित करती है उसमें आधुनिक राज्य के सभी तत्वों के साथ-साथ नए तत्वों का भी अविर्भाव हो जाता है। पी० वी० काणे के अनुसार 'राज्य के लिए जनसमूह का भौगोलिक सीमा के भीतर रहना] एक सुव्यवस्थित आर्थिक व्यवस्था का अस्तित्व] राज्य के लिए पर्याप्त बल एवं सेना का होना तथा अंतरराष्ट्रीय मैत्री का होना अनिवार्य है।'³

याज्ञवल्क्य ने अपने राजनीतिक विचारों द्वारा अलग-अलग प्रकार के राजनीतिक संघर्षों के समाधान के सिद्धांतों को उद्भूत किया है। उनके राजनीतिक विचारों में राज्य और शासन की परम आवश्यकता को स्वीकार किया गया है तथा अराजकता के दोषों की ओर ध्यान दिलाकर राजनीतिक चेतना का श्रीगणेश किया गया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र की प्रत्येक समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। इसी संदर्भ में याज्ञवल्क्य के राजनीतिक विचारों जैसे राज्य] राजा के गुण एवं कर्तव्य] प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप आदि का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।

मानव समाज के उत्कर्ष एवं विकास में राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन ग्रंथों में राजहीन स्थिति का भयावह चित्रण किया गया है] जिससे रक्षण हेतु राज्य का क्रमिक विकास हुआ। मनुस्मृति में वर्णित है कि राजा के न होने पर जब प्रजा इधर-उधर भागने लगी] तब ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा हेतु राजा का सृजन किया।⁴ राज्य की उत्पत्ति के लिए याज्ञवल्क्य ने उस समय में विद्यमान उन संघर्षों को कारण माना जो समाज को पतनोन्मुख करते जा रहे थे।

याज्ञवल्क्य ने राजा को दैवीय उत्पत्ति माना है। जैसा कि एक कथा में कहा गया है कि जब देवताओं और मनुष्यों को नियंत्रण में न रखा जा सका] तब प्रजापति ने पूछा कि आवश्यक कार्य तथा प्रजा की रक्षा कौन करे। तब देवताओं ने उत्तर दिया कि वे विभिन्न देवताओं [सोम] आदित्य] इंद्र] विष्णु और यम के विशिष्ट गुणों यथा सौंदर्य] वीरता] अनुशासन और त्याग आदि से मनुष्य के रूप में एक राजा की सृष्टि करें।⁵ याज्ञवल्क्य स्मृति में मानव जाति की कल्याण हेतु राज्य के अभीष्ट को स्वीकार किया गया है तथा राजनीतिक चिंतन के संबंध में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की सात प्रकृतियां 1/4स्वामी] अमात्य] जन] दुर्ग] कोष] दण्ड एवं मित्र] 1/2 राज्य का निर्धारण करती हैं। यह मानव शरीर के विभिन्न अंगों के समान एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वामी से आशय है कि राज्य की समस्त शक्ति राजा में निहित होगी अर्थात् वह संप्रभु होगा। उनके अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा राज्य की संप्रभुता] एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है। राजा को युग निर्माता भी कहा गया है। राजा ही स्वर्ण युग का प्रवर्तक है या देश में विपत्तियां] युद्ध या अशांति लाने वाला है।⁶ राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि राजा को साहसी] विनयशील] कृतज्ञ] पवित्र] सत्यवादी] स्मृतिवान] धार्मिक] शीघ्रता से काम करने वाला] अव्यसनी] शूरवीर] पंडित तथा रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। इन गुणों के अतिरिक्त राजा को आत्म विद्या और राजनीति में निपुण] तीनों वेदों का ज्ञाता एवं लाभ के उपाय में प्रवीण होना चाहिए।⁷

महाभारत के शांति पर्व में राजा को *रज* धातु से निष्पन्न बताया गया है] जिसका अर्थ है *प्रसन्न करना* अर्थात् जो प्रजा को प्रसन्न] सुखी एवं संतुष्ट रखता है] वही राजा है।⁸ राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा रक्षण माना गया है। प्रजा रक्षण का तात्पर्य चोरों] डाकुओं एवं बाहरी शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना है।⁹ राजा को पतिव्रता स्त्रियों का सम्मान एवं रक्षा करनी चाहिए तथा विपत्ति के समय अपने कोष से व्यवस्था करके प्रजा पालन करना चाहिए।¹⁰ राज्य के कार्यक्षेत्र के

संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि सभी वर्णों से धर्म का पालन करवाना] राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना] विधि का पालन करवाना एवं राज्य को बाहरी नियंत्रण से मुक्त रखना राजा का उत्तरदायित्व है। कौटिल्य का कहना है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख एवं प्रजा के हित में ही राजा का हित है।¹¹ न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा को प्रजा के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।¹² राजा को उचित कर ही वसूल करना चाहिए] परंतु आपातकाल में कर की दर बढ़ाई जा सकती है। राजा को पिता के समान प्रजा का पालन करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार मृदु एवं कठोर होना चाहिए। राजा के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं कि वह युद्ध में अर्जित धन से ब्राह्मण तथा अपनी प्रजा का कल्याण करे।

याज्ञवल्क्य राजा की निरंकुश सत्ता के पक्षधर नहीं थे। राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास के बावजूद उन्होंने राजा के अधिकारों एवं शक्तियों की अपेक्षा उसकी योग्यता एवं गुणों पर अधिक बल दिया है। उन्होंने राजा को नैतिकता एवं धर्म के अधीन रखा है। उनका मानना था कि राजा धर्म का पालन करके प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और वह प्रजा का नेतृत्व करता है। प्रजापालन उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य था।

याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य धर्म] अर्थ और काम की प्राप्ति में साधक होना है। अतः राजा को मंत्रियों के परामर्श से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने राजा को एक कर्तव्य के रूप में मंत्रियों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। राजा को वंश क्रमागत] शूरवीर] शास्त्रज्ञाता] उत्तम वंश में उत्पन्न] शस्त्र चलाने में निपुण मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शासन की नीति को कार्य रूप देने तथा अनेक कार्यों को संचालित करने के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। अन्य अधिकारी भी ईमानदार] चरित्रवान] अनुभवी] बुद्धिमान एवं कार्यकुशल होने चाहिए। राजा ऐसे व्यक्तियों को अधिकारी बनाएं जो अपने कार्य में चतुर और रुचि रखने वाले हों] आय&व्यय का हिसाब रखने में निपुण हों। राजा जिन व्यक्तियों को राजकाज हेतु नियुक्त करे]

उनके आचरण के विषय में गुप्त दूतों से पता लगाये तथा अच्छे कर्मचारियों का सम्मान करे तथा दुष्टों को दंड दे। याज्ञवल्क्य के अनुसार राजा शासन का अध्यक्ष है। अतः पदाधिकारियों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण करे] क्योंकि निरीक्षण सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि व्यावहारिक एवं धार्मिक बातों में सभी मंत्रियों से परामर्श के उपरांत राजा को अंत में पुरोहित से सहमति लेनी चाहिए।¹³ ऋग्वैदिक काल से ही पुरोहित को राजा की आत्मा का अर्ध भाग एवं राज्य की समृद्धि के लिए उसका सहयोग अत्यंत आवश्यक माना गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि राजा ऐसे व्यक्ति को पुरोहित बनाए] जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो] सब शास्त्रों से समृद्ध हो] शांति में निपुण एवं अर्थशास्त्र में कुशल हो। राजा ब्राह्मणों को सुख] भोग और धन दे] क्योंकि राजा जो कुछ ब्राह्मणों को देता है वह उसकी अक्षयनिधि है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में जन शब्द राष्ट्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। जन ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़े परिश्रम से पर्याप्त अन्न उत्पन्न हो] जिसमें भूमि] खनिजों एवं वनों की प्रचुरता हो] जो शत्रुओं को पराजित कर सके] जो जल व स्थल मार्गों से संपन्न हो तथा जिसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्धक हो। राष्ट्र 1/4जन1/2 की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उसे छोटी&बड़ी इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में अनेक जन संस्थाओं के नाम आए हैं] जो राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में जन शासन का प्रतिनिधित्व करती थी। ग्राम संस्था को समूह कहा जाता था तथा उसके अधिकारी कार्य चिंतक कहे जाते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है कि समूह के कार्य में जो कुछ उपार्जित किया जाए उसे यथावत अर्पित कर देना चाहिए। जो समूह ऐसा नहीं करता उसे उस धन का ग्यारह गुना दंड दिलवाना चाहिए। कुल] जाति] श्रेणी] गण एवं जनपद आदि स्वायत्त संस्थाएं थीं। ये सभी स्वयं अपने नियम बनाती थी तथा न्याय का कार्य भी करती थी।

जनपद के मध्य में राजधानी होती थी] जिसे दुर्ग से सुरक्षित बनाया जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है कि राजा अपने जन] कोष एवं स्वयं की रक्षा के लिए ऐसे स्थल पर दुर्ग बनवाए जो

रमणीय हो] जंगल युक्त हो और पशुओं को बढ़ाने वाला हो। सैन्य शक्ति का भली-भांति प्रयोग दुर्ग से ही संभव था। महाभारत में भी राजधानी के रूप में ऐसे दुर्ग का विधान किया गया है जिसमें राजपुरुष] ब्राह्मण] शिल्पी] व्यापारी आदि का निवास हो तथा जहां धन&धान्य] अस्त्र&शस्त्र आदि काफी मात्रा में संचित रहें।

प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा को कोष की आवश्यकता थी। कोष वृद्धि का प्रमुख साधन था&कर संग्रह। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है कि जो प्राप्त नहीं है] उसे राजा धर्म से प्राप्त करने का प्रयास करे और जो प्राप्त है उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करे। रक्षित धन को नीति से बढ़ाये तथा बड़े हुए धन को सत्पात्रों को दान करे। जो राजा अन्याय से धन संग्रह करता है] वह अपने बन्धुओं सहित निर्धन होकर नष्ट हो जाता है। प्रजा पीड़ा के सन्ताप से उत्पन्न अग्नि राजा के धन] वैभव] कुल और प्राण को जलाए बिना ठंडी नहीं होती।¹⁴

याज्ञवल्क्य स्मृति में सच्चे मित्र की प्राप्ति को सोना और भूमि से भी श्रेष्ठ बताया गया है। मित्र की प्राप्ति से राजा कोष] भूमि एवं यश को प्राप्त कर सकता है। अतः उसे सच्चे मित्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए और यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जिसमें विनम्रता] वीरता] धैर्य] सत्यता आदि गुण हों। युद्ध नीति के संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि राजा को संधि] विग्रह] यान] आसन] संश्रय और द्वैधीभाव की नीति को अपनाना चाहिए तथा शत्रु राज्य पर तब आक्रमण करना चाहिए जब वह अन्न आदि से परिपूर्ण हो। रक्षा के लिए युद्ध करना या मर जाना संभव था। अतः कहा गया है कि वे राजा जो युद्ध करते&करते मर जाते हैं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। सैनिकों को भी युद्ध करते&करते मर जाने पर स्वर्ग प्राप्ति होती है।¹⁵ शांति पर्व में भी कहा गया है कि जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ के उपरांत राजा के साथ जो स्नान करते हैं वे सभी पाप मुक्त हो जाते हैं] उसी प्रकार सभी जाति वाले सैनिक युद्ध में मर जाने पर पाप रहित हो जाते हैं।¹⁶ यह भी कहा गया है कि विजय प्राप्त करने के पश्चात जिस देश में जो आचार] व्यवहार और मर्यादा प्रचलित हो उसका उसी रूप में पालन करना चाहिए।¹⁷ राजा

को पड़ोसी राज्यों से मित्रता पूर्ण संबंध रखने चाहिए। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य ने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की स्थापना नहीं करने का विधान किया है।

समय के साथ-साथ जब समाज में अपराधों की बढ़ोतरी हुई तब धर्म और न्याय के प्रवर्तन के लिए राजा ने नियम और कानून का प्रचलन किया। कठोर विधान बनाकर राजतंत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है कि जो घूस लेकर जीविका चलाते हैं उनका धन छीनकर उन्हें देश से निकाल देना चाहिए।¹⁸ याज्ञवल्क्य स्मृति में निष्पक्ष न्याय का विधान किया गया है। उनका मानना था कि भाई] पुत्र] आचार्य] श्वसुर] मामा कोई भी यदि अपने धर्म से विचलित हो तो वह राजा के लिए अदंड्य नहीं होता।¹⁹

राजा की कार्य सिद्धि के लिए ईश्वर ने दंड की रचना की। दंड व्यक्ति को अनुचित कार्य करने से रोकता है। डॉ० जायसवाल का कथन है कि मानव धर्मशास्त्र के अनुसार विभिन्न देवता राजा के शरीर में आते हैं और वह स्वयं एक महान देवता बन जाता है] जिससे घृणा करने वालों को निरंकुश शक्तियों से दंडित किया जाता है।²⁰ याज्ञवल्क्य के अनुसार सप्तांग राज्य पाकर राजा दुष्टों को दंड दे] क्योंकि ब्रह्मा ने दण्ड रूप से धर्म को बनाया। जो राजा लोभी होता है] वह न्याय से दण्ड नहीं चला सकता किंतु जो सच्चा] पवित्र एवं बुद्धिमान होता है] वह न्याय से चलता है। जो राजा दंड योग्य व्यक्तियों को दंड देता है वह बड़े यज्ञों का फल पाता है। दंड के चार प्रकार माने गए हैं] धिग्दण्ड] वाग्दण्ड] धनदण्ड] वधदण्ड। अपराध के अनुरूप सोच विचार कर दण्ड दिया जाना चाहिए। स्मृतिकार ने प्रभुसत्ता को राज्य का आधार माना है इसलिए उनका मानना था कि दंड के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि कोई सभासद किसी के प्रति लगाव] लोभ या डर से धर्मशास्त्र के विरुद्ध काम करे तो जितने का वह व्यवहार हो राजा उससे दोगुना दंड सभासद से ले।

याज्ञवल्क्य ने कानून के चार स्रोत माने हैं] वेद] स्मृतियां] सज्जनों का आचार एवं सुनिश्चय से उत्पन्न होने वाली इच्छा। याज्ञवल्क्य ने कहा है जहां धर्म को स्पष्ट न किया गया हो वहां धर्म के

पंडित तीन या चार ब्राह्मणों से बनी परिषद अथवा एक ही श्रेष्ठ विद्वान जिसे धर्म घोषित करे उसे धर्म स्वीकार करना चाहिए। उनका यह भी कथन है कि जब दो स्मृतियों में मतभेद हो तो व्यवहार पर आधारित न्याय मान्य होगा] परंतु अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र में मतभेद होने पर धर्मशास्त्र का मत मान्य होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में चार प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है & राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी 1/4सभा 1/2] पुग] श्रेणी तथा कुल।²¹ याज्ञवल्क्य स्मृति में क्षत्रियों के कर्तव्यों के वर्णन में प्रशासनिक कार्यों की विवेचना की है। इसमें वर्णाश्रम धर्म के अनुपालन पर भी बल दिया गया है। मानव धर्म पर लिखे गए इस ग्रंथ में हिंदुओं की सामाजिक] धार्मिक मान्यताओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसमें धर्म के उसी भाग को सम्मिलित किया गया जिसे कि राजत्व एवं व्यवहार के अंतर्गत रखा गया। इसी को आधुनिक अर्थ में कानून कहते हैं।²²

अतः स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में जो राजनीतिक सिद्धांत वर्णित किए गए हैं वे राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में हैं। किन्तु बहुत से विचार ऐसे हैं जिन्हें वर्तमान भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में भी अपनाया जा सकता है। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा एवं मंत्रियों के लिए जो गुण एवं कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वे वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रपति] प्रधानमंत्री तथा विधायकों के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं। विदेशनीति] न्याय व्यवस्था तथा राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किए गए हैं] वे भी स्वीकारणीय हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास में याज्ञवल्क्य स्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह हिंदू शासन पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें वर्णित किए गए कानून आज भी बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए मान्य है। इसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए जिन सिद्धांतों का विवेचन किया है] उन्हें सभी कालों में क्रियान्वित किया जा सकता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से हम न केवल अतीत को अपितु वर्तमान को भी सही दृष्टि से समझ सकते हैं। अतः अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान को सुधार सकते हैं तथा भविष्य की आदर्श व्यवस्था को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। याज्ञवल्क्य

स्मृति द्वारा जिस राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण किया गया तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रावधान किया गया] उनसे हमें भविष्य में अपने राजनीतिक विकास की दिशा को निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है।

संदर्भ सूची

- 1 प्रसाद] बेनी] थ्योरी ऑफ़ गवर्नमेंट इन इंडिया] पृष्ठ संख्या&35
- 2 शांति पर्व] 141@9&10] 56@3
- 3 काणे] पी० वी०] धर्मशास्त्र का इतिहास भाग& 2] पृष्ठ संख्या& 586
- 4 मनुस्मृति&7@3
- 5 शरण] डॉ परमात्मा] प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं] पृ० सं०& 193
- 6 शुक्र नीतिसार] 4@1@60
- 7 याज्ञवल्क्य स्मृति] 1@301&311
- 8 शांति पर्व] 59@125
- 9 राजनीति प्रकाश] पृष्ठ संख्या& -254&255
- 10 राजनीति प्रकाश] पृष्ठ संख्या&130&131
- 11 अर्थशास्त्र] 1@19
- 12 याज्ञवल्क्य स्मृति 1@309
- 13 वही 1@312&313
- 14 वही] 1@340&341
- 15 वही] 1@324
- 16 शांति पर्व] 78@31
- 17 याज्ञवल्क्य स्मृति] 1@343
- 18 वही] 1@337

19 वही] 1@358

20 जायसवाल] के० पी०] हिंदू पालिटी] पृष्ठ संख्या& 225&226

21 याज्ञवल्क्य स्मृति] 2@30

22 सिन्हा] एच० एन०] सॉवरेन्टी इन असिएंट इंडिया] पृष्ठ संख्या&278&279